न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 25/2023

1. जगराजसिंह पुत्र बुटासिंह जाति बावरी निवासी 3 एसएसएम ए निवासी सियासर चौगान खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

1. देसराज पुत्र बुटासिंह जाति बावरी निवासी 3 एसएसएम ए सियासर चौगान तहसील खाजूवाला
2. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– **दिनांक :– 06.04.2023**

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम चक 3 एसएसएम ए मु0नं0 87/55 के किला नं0 1 ता 10, 13 में 1/2 बीघा, 14, 15 की 3.1613 है0 खातेदारी शुदा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा इसी मु0नं0 87/55 के किला नं0 11,12,14 में 10 बिस्वा, 16 ता 25 की 3.1613 है0 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 के किला नं0 1,10 में होकर आगे अप्रार्थी सं0 1 द्वारा मु0नं0 87/56 में बनाये रास्ता से होकर सड़क पर आता जाता है तथा उक्त रास्ता प्रार्थी के लिए सुविधाजनक है व उक्त रास्ता आमजन के लिए भी हितकारी है। जिसमें चक 3 एसएसएम ए के अन्य काश्तकारों के सुविधाजन होने के लिए प्रार्थी अपनी जोत चक 3 एसएसएम ए के मु0नं0 87/55 के किला नं0 11,20,21 में भी 2–2 रास्ता कटान करवाने के लिए सहमत है। प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 आपस में सगे भाई है तथा अपने मु0नं0 87/55 के किला नं0 1,10,11,20,21 में दोनो सहमति से 2–2 बिस्वा का रास्ता कटान करवाना चाहते है। जिससे अप्रार्थीगणों व प्रार्थी को सुविधाजनक रहेगा तथा मु0नं0 87/56 के किला नं0 21 ता 25 मे बनी डामर सड़क आम आबादी 3 एसएसएम ए, 4 एसएसएम ग्रामपंचायत मुख्यालय, विद्यालय व मण्डी बैरियांवाली व दन्तौर आने जाने में अत्यधिक सुविधाजनक व आमहित के लिए फायदेमंद रहेगा तथा बच्चों की शिक्षा के लिए साधन वगैरह में भी सुविधाजनक रहेगा। अतः चक 3 एसएसएम ए सियासर चौगान के मु0नं0 87/55 के किला नं0 1,10,11 में प्रार्थी कटान में सहमत है तथा किला नं0 20,21 में अप्रार्थी सं0 1 सहमत है इसलिए मु0नं0 87/55 के किला नं0 1,10,11,20,21 में 2–2 बिस्वा का कटानकर गैरमुमकिन रास्ता रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश फरमावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 प्रार्थनापत्र धारा 151 सीपीसी जल्द सुनवाई पेश कर राजीनामा व जवाब प्रार्थनापत्र 251 ए आरटीएक्ट इकबालिया जवाब पेश किया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है मैने डीएलसी की दुगुनी राशि प्राप्त कर ली है। अब अप्रार्थी के मुरब्बा नं0 87/55 के किला नं0 1,10,11 में 2–2 बिस्वा रास्ता कटान कर दिया जाता है तो मुझे कोई उज्र एतराज नहीं है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र व राजीनामा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर चक 3 एसएसएम ए के मु0नं0 87/55 जो कि किला नं0 1,10,11 में 2–2 बिस्वा रास्ता कटान करने का आदेश फरमावें। उभयपक्ष बहस सुनी गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व जवाबप्रार्थनापत्र सहमतिपत्र के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे पक्षकारों में लोकअदालत की भावना से सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पक्षकारों ने स्वंय लिखा है कि उक्त रास्ता के बदले डीएलसी की दुगुनी राशि प्राप्त कर ली है। अतः चक 3 एसएसएम ए के मु0नं0 87/55 के किला नं0 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक में चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दर्ज के आदेश किये जाते है। तहसीलदार खाजूवाला आदेश मुताबिक नियमानुसार अमलदरामद करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)